न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—444/2025/225 आर.टी.एक्ट (2025/444)

1. पप्पूराम पुत्र स्व0 बुधाराम जाति मेघवाल आयु 42 वर्ष निवासी ईशरनावडा तहसील खींवसर जिला नागौर राजस्थान।

अपीलांट

बनाम

1. पवन कुमारी पत्नि रामप्रकाश जाति जाट
2. ओमाराम पुत्र ज्ञानाराम उर्फ गेनाराम जाति मेघवाल
3. किशनाराम पुत्र प्रभूराम जाति मेघवाल
4. दीलिप पुत्र मांगीलाल जाति मेघवाल
   प्रतिवादी संख्या 3 दीलिप नाबालिग जरिए संरक्षक पिता मांगीलाल पुत्र भंवरलाल जाति मेघवाल
5. नाथाराम पुत्र ज्ञानाराम उर्फ गेनाराम जाति मेघवाल
6. निम्बाराम पुत्र प्रभूराम जाति मेघवाल
7. बुधाराम पुत्र प्रभूराम जाति मेघवाल
8. बलूराम पुत्र भगवानाराम जाति मेघवाल
9. भेराराम पुत्र चूनाराम जाति मेघवाल फौत के कायम मुकामानः—
   9/1 कालूराम पुत्र स्व0 भेराराम जाति मेघवाल
   9/2 राजूराम पुत्र स्व0 भेराराम जाति मेघवाल
   9/3 विमला पुत्री स्व0 भेराराम जाति मेघवाल
   9/4 लीला पुत्री स्व0 भेराराम जाति मेघवाल
   9/5 कमला पत्नि स्व0 भेराराम जाति मेघवाल
10. मुकनाराम पुत्र भगवानाराम जाति मेघवाल
11. मंगलाराम पुत्र ज्ञानाराम उर्फ गेनाराम जाति मेघवाल
12. मांगीलाल पुत्र भगवानाराम जाति मेघवाल
13. रूखी पत्नि प्रभूराम जाति मेघवाल फौत के कायम मुकामानः—
   13/1 मधी पुत्री स्व0 प्रभूराम जाति मेघवाल
   13/2 समु पुत्री स्व0 प्रभूरा जाति मेघवाल
14. रेवन्तराम पुत्र प्रभूराम जाति मेघवाल
15. रेवन्तराम पुत्र ज्ञानाराम उर्फ गेनाराम जाति मेघवाल
16. शंकरराम पुत्र चूनाराम जाति मेघवाल
17. सोना पत्नि ज्ञानाराम उर्फ गेनाराम जाति मेघवाल
18. सोनाराम पुत्र भगवानाराम जाति मेघवाल
19. हतु पत्नि भगवानाराम जाति मेघवाल के कायम मुकामानः—
   19/1 समु पुत्री स्व0 भगवानाराम जाति मेघवाल
   19/2 मोहनी पुत्री स्व0 भगवानाराम जाति मेघवाल
20. करनाराम पुत्र भीखाराम जाति मेघवाल
21. छोटकी पुत्री भीखाराम जाति मेघवाल
22. दिनेश पुत्र भीकाराम जाति मेघवाल
23. मुन्नी देवी पुत्री भीखाराम जाति मेघवाल
24. सिपुडी पुत्री भीखाराम जाति मेघवाल
25. रूकमा पत्नि भीखाराम जाति मेघवाल
26. कोजाराम पुत्र बुधाराम जाति मेघवाल
27. जालाराम पुत्र बुधाराम जाति मेघवाल फौत के कायम मुकामानः—
   27/1 अन्नु पत्नि स्व0 जालाराम जाति मेघवाल

27/2 सुनिल उर्फ कुलदीप पुत्र स्व0 जालाराम नाबालिग जरिए कुदरति वलिया माता अन्नु पत्नि स्व0 जालाराम
28. बाबुराम पुत्र बुधाराम जाति मेघवाल निवासीगण ग्राम ईश्वरनाडा तहसील खींवसर जिला नागौर राजस्थान।
29. शाखा प्रबंधक, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा पांचला सिद्धा।
30. राज्य सरकार जरिए तहसीलदार खींवसर।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खींवसर जिला नागौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.03.2025 राजस्व वाद संख्या 85/2024

उपस्थितः—

1. श्री राघवेन्द्रसिंह राणावत अभिभाषक अपीलांट
2. श्री सलमान खान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 30
4. रेस्पोडेंट संख्या 2 से 29 **(तलवी बंद)**

निर्णय

दिनांकः— 14.01.2026

1. यह अपील माननीय राजस्व मण्डल द्वारा मुंतकिली प्रार्थना पत्र/टी0ए0/4008/2025 में पारित आदेश दिनांक 24.06.2025 को पत्रावली राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर से राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर न्यायालय में स्थानांतरित किए जाने से प्राप्त हुई है। अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खींवसर जिला नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 85/2024 में पारित आदेश दिनांक 11.03.2025 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मूल प्रार्थना पत्र में प्रार्थी रहे उक्त अपील के रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी व उक्त प्रकरण के रेस्पोडेंट संख्या 2 से लगायत 30 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251ए आरटी0एक्ट0 के तहत प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज कर प्रार्थना पत्र के अप्रार्थीगण के विरूद्ध नोटिस जारी किए गए तथा अप्रार्थीगण को जवाब पेश करने हेतु तलब किया गया, जिससे अप्रार्थी संख्या 2, 5, 6, 8/1, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 27 की ओर से उनके अधिवक्ता की ओर से जवाब पेश कर प्रार्थी पवन कुमारी के प्रार्थना पत्र को गलत बतलाया एवं खारिज किए जाने का निवेदन किया गया तथा जवाब के साथ विशेष आपत्ति के कथनों का भी उल्लेख किया गया। जिनका कोई जवाब प्रार्थी पवन कुमारी द्वारा पेश नहीं किया गया। प्रार्थना पत्र को अन्य अप्रार्थीगण संख्या 1, 3, 4, 7, 8/2 से 8/5, 9, 12/1, 12/2, 16, 18/1, 18/2, 19 से 25, 26/1, 26/2 व 28 से 30 के नोटिस तामील होने के बावजूद अप्रार्थीगण गैर हाजिर होने से उनके विरूद्ध प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कार्यवाही करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किए

जाने के आदेश पारित किए गए। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खींवसर जिला नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 85/2024 में पारित आदेश दिनांक 11.03.2025 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र में अपीलार्थी/अप्रार्थी सहित अन्य अप्रार्थीगण के जवाब का एवं उसमें लिखी विशेष आपत्ति पर किसी प्रकार से गौर ही नहीं किया गया। जहां तक प्रस्तुत जवाब में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि प्रार्थी के खेत ख.नं. 616/55 का रास्ता वर्तमान में ख.नं. 49 में से होकर चलता है जो रास्ता सबसे कम दूरी का है जिस रास्ते को प्रार्थी को रास्ते हेतु आवागमन हेतु दिया जाना न्यायोचित है तथा यह उल्लेख किया कि उक्त ख.नं 49 पवन कुमारी के चचेरे भाई के बट की भूमि है एवं संयुक्त खातेदारी की है जिसके नजदीक ही मुख्य सड़क मिलती है तथा प्रार्थी को प्रार्थना पत्र के जरिये चाहे गये रास्ते का रास्ते के रूप में घोषित करवाने का अधिकार नहीं है। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र ख. अलग खातेदारों के विरूद्ध संयुक्त रूप से पेश किया गया है जिस कारण प्रार्थी को ऐसा प्रार्थना पत्र विधिनुसार पेश करने का अधिकार नहीं होने से आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया। साथ ही यह उल्लेख किया कि ख.नं. 50 के खातेदार कमला भी है जिसको प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है। साथ ही यह उल्लेख किया कि खातेदार जालाराम की मृत्यु 5 वर्ष पूर्व हो चुकी है एवं मृत व्यक्ति को पक्षकार बनाया जो विधि विरूद्ध है जिस कारण भी प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया। परन्तु योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र खानापूर्ति करने के उद्देश्य से एवं गलत प्रकार से पेश मौका रिपोर्ट दिनांक 18.02.2025 में बतलाई मिलावटी तथ्यों के आधार पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने के आदेश खारिज कर दिये गये जिस आदेश को पारित करने में पूर्ण रूप से कानूनी भूल की गई है इस कारण अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.03.25 प्रथम दृष्टया अवैधानिक, मिलावटी, विधिविरूद्ध व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं मौके की स्थिति के विपरीत जारी किया गया है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में पेज सं. 3 पर यह उल्लेख किया है कि जो मौका रिपोर्ट दिनांक 18.02.2025 को तहसीलदार द्वारा पेश की गई वह न्यायालय में 20.02.2025 को पेश हुई उस रिपोर्ट में ख.नं. 616/55 में आने जाने हेतु लघुतम दूरी ख.नं. 49 में 85 फुट होना बतलाया, जहां पर मौके पर मूर्ति व चारदीवारी होना बतलाया। परन्तु उपरोक्त बतलाई मूर्ति व चारदीवारी रास्ते के भू भाग पर नहीं है तथा ख.नं. 49 की भूमि में रास्ता दिये जाने पर खसरे का विभाजन होना बतलाया जो मनमुताबिक तथ्य उल्लेख किये गये, जैसा ख.न. 49 के मौके की स्थिति नहीं है। साथ ही उपरोक्त प्रस्तुत रिपोर्ट में प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिए खन 48 गै.मु. रास्ते से ख.नं. 51 की सलग्न नजरी नक्शे में लाल श्याही से उत्तरी सींव से होते हुए सुगम व निकटत्तम रास्ता होना गलत उल्लेख किया गया है जो कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शा में बतलाये मार्क ए से बी रास्ते के भी विपरीत है तथा ऐसे रास्ते की लम्बाई 99 फुट व चौड़ाई

20 फुट होना गलत उल्लेख किया गया है। जबकि प्रार्थी स्वयं द्वारा मूल प्रार्थना पत्र में यह उल्लेख किया है कि ख. नं. 51 की राजस्व भूमि का रकबा मात्र 0.0405 हैक्टर हैक्टर ही है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी पवन कुमारी द्वारा वर्षों से चले आ रहे रास्ते के स्थान पर ही रास्ते की मांग अर्थात् प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में दर्शाये ख. नं. 50 की उत्तरी माठ के सहारे सहारे उसे दिये जान हेतु ही न्यायालय से मांग की गई थी। जिससे यह प्रमाणित है कि प्रार्थी पवन कुमारी स्वयं ख.नं. 50 की भूमि की उत्तरी माठ पर बतलाये मार्क ए से बी रास्ते को ही आवेदन के जरिये रास्ता चाहती है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार खींवसर द्वारा दी गई ख.नं. 51 के संबंध में मौका रिपोर्ट पूर्ण रूप से गलत व झूठी है। इस कारण भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र किसी भी प्रकार से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं था। इस कारण भी अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.03.2025 अस्वीकार कर खारिज फरमाया जावे। आलौच्य आदेश में योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस प्रकार के तथ्य आलौच्य आदेश के पृ.सं. 5 के अनु.सं. 1 में आत्यंतिक आवश्यकता न केवल सुविधा के संबंध में उल्लेख किये हैं व अनु.सं. 2 वैकल्पिक साधनों का अभाव के संबंध में एवं आदेश के पृ.सं. 6 के अनु.सं. 3 प्रश्नगत रास्ता निकटतम होना चाहिए के संबंध में जिस प्रकार के कथन उल्लेख किये हैं वह कथन पत्रावली पर उपलब्ध मौके की स्थिति एवं दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत है। इस कारण प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ते खेत ख.नं. 616/55 के संबंध में निकटतम रहते हुए भी ख.नं. 51 को विधिविरूद्ध तरीके से निकटतम व सुगम रास्ता उक्त भूमि में से माने जाने में पूर्ण रूप से कानूनी भूल की गई है तथा गलत प्रकार से आलौच्य आदेश में अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने का तथ्य लिखा गया है। साथ ही गलत प्रकार से मौका रिपोर्ट दिनांक 20.02.2025 के साथ संलग्न नजरी नक्शे में बतलाये रास्ता मार्क एफ.जी. एच.आई को गलत प्रकार से रास्ता घोषित किया गया है, जैसा कोई रास्ता मौके पर 20 फुट चौड़ा ख.नं. 51 की उत्तरी माठ के आस पास अथवा उत्तर की तरफ कभी नहीं रहा। ऐसी स्थिति में भी उपरोक्त घोषित किये गये रास्ते के संबंध में राजकोष में धनराशि जमा करवाने के आदेश व राजस्व रेकार्ड में रास्ता तरमीम करने के आदेश एवं रास्ता कायम कर उपयोग उपभोग में रूकावट न करने के आदेश जिस प्रकार से पारित किये गये हैं वह पूर्ण रूप से अवैधानिक है। ऐसी स्थिति में भी अपीलाधीन आदेश पूर्ण रूप से विधि एवं मौके की स्थिति के विपरीत है तथा अपीलार्थी के वैधानिक हक अधिकारों के विपरीत होने से भी उक्त अपीलाधीन आदेश को अविधिमान्य होना घोषित कर दिनांक 11.03.2025 को खारिज कर निरस्त घोषित किया जावे। आलौच्य आदेश दिनांक 11.03.2025 की अपील की अवधि 30 दिन के पूर्व ही योग्य अधीनस्थ न्यायालय के उपरोक्त आदेश की प्रार्थी द्वारा विधिविरूद्ध तरीके से ख.नं. 51 मौजा ईशरनावड़ा की राजस्व भूमि के संबंध में राजस्व रेकार्ड व नक्शे में परिवर्तन करवाया है जिसे भी निरस्त किया जाना उचित होने से निरस्त फरमाया जावे। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खींवसर जिला नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 85/2024 में पारित आदेश दिनांक 11.03.2025 को निरस्त किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में 2017 आरआरटी पेज 342, 2017 आरआरटी(1) पेज 423 एवं 2017, डीएनजे रेवेन्यु पेज 1, 2016 आरआरटी पेज 1281,

2016 आरआरटी (2) पेज 798, 2022 डीएनजे पार्ट 1 रेवे0 पेज 1368, 2021 आरआरटी(2) पेज 1264, 2009 डीएनजे पार्ट 1 सुको पेज 232 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए गए है।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि ग्राम ईशरनावडा की सरहद में खेत खसरा नम्बर 616/55 रकबा 3.0270है0 प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जा काश्त का स्थित है। प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 616/55 के पूर्वी तरफ खसरा नम्बर 50 रकबा 0.2428 हैक्टेयर अप्रार्थी संख्या 1 से 24 के खातेदारी का स्थित है। खसरा नम्बर 50 में दर्ज खातेदार नेना पुत्र भींया लाऔलाद फौत हो चुका है जिसके विधिक उत्तराधिकारी अप्रार्थी संख्या 1 से 24 ही है। प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जा काश्त के खेत खसरा नम्बर 616/55 का कदीमी रास्ता खसरा नम्बर 50 की उत्तरी सींव से होता हुआ आगे कटाणी रास्ता जिस पर अब डामर सड़क बन गई है तक चलता आ रहा है। उक्त रास्ता वर्षो से चलता आ रहा है। प्रार्थी एवं उसके परिवार के सदस्य एवं प्रार्थी के कृषक इसी रास्ते से अपने वाहन एवं पशुधन आदि लाते ले जाते रहे है। प्रार्थी का अपने खेत खसरा नम्बर 616/55 में आने जाने के लिए सबसे सरलतम एवं सुगम रास्ता खसरा नम्बर 50 में से होकर है एवं प्रार्थी को इस रास्ते की अत्यन्तिक आवश्यकता है। प्रार्थी के इस रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। इसलिए रास्ते के उक्त विवाद को हमेशा–हमेशा के लिए मिटाने के लिए राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के नये प्रावधानों के तहत राजस्व रेकर्ड में रास्ते का इन्द्राज करवाने के लिए यह आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 616/55 के लिए लघुतम एवं निकटतम रास्ता खसरा नम्बर 50 की दक्षिणी सींव से लगता है मगर खसरा नम्बर 50 की दक्षिणी सींव पर अप्रार्थी का निर्माणाधीन मकान है। जिससे उक्त स्थान से रास्ता दिया जाना संभव नहीं है तथा साथ ही प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 616/55 के लिए लघुतम व निकटतम रास्ता खसरा नम्बर 51 में से भी लगता है मगर खसरा नम्बर 51 का रकबा मात्र 0.0405 हैक्टेयर ही है। इसलिए प्रार्थी द्वारा वर्षो से चल रहे रास्ते के स्थान पर ही रास्ते की मांग की है, तथा अगर विकल्प में न्यायालय द्वारा लघुतम एवं निकटतम स्थान से प्रार्थी को खसरा नम्बर 50 या 51 में से किसी भी स्थान से रास्ता दिया जाता है तो प्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है। अगर न्यायालय द्वारा खसरा नम्बर 51 में से रास्ता दिया जाता है तो उस स्थिति में खसरा नम्बर 51 के खातेदारों को भी अप्रार्थी पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 616/55 रकबा 3.0270 हैक्टेयर में आने जाने हेतु मौके पर चल रहे एवं चाहे गये कदीमी रास्ते को नजरी नक्शे में मार्क ए से बी अनुसार दर्शाया गया है। यह नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग है। प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 616/55 रकबा 3.0270 हैक्टेयर में आने जाने हेतु रास्ते के लिए मार्क ए से बी दर्ज की जाने वाली भूमि या न्यायालय द्वारा विकल्प में अन्य स्थान से रास्ता दिया जाता है तो उसकी प्रतिकर की राशि न्यायालय के आदेशानुसार देने के लिए प्रार्थी तैयार है। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। प्रार्थी/रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों द्वारा की गई बहस पर मनन करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दिनांक 11.03.2025 को स्वीकार किए जाने के आदेश पारित किए गए। उक्त आदेश से अंसतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

प्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आराजी खसरा नम्बर 616/55 रकबा 3.0270 है0 में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 50 तथा विकल्प में न्यायालय द्वारा लघुत्तम एवं निकटतम स्थान से प्रार्थी को खसरा नम्बर 50 या 51 में से किसी भी स्थान से रास्ता दिया जाता है तो प्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है। इस बाबत प्रार्थना पत्र में उल्लेख कर अधीनस्थ न्यायालय से अनुतोष चाहा गया।

प्रकरण में तहसीलदार द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 20.11.2024 को प्रस्तुत की गई। उक्त मौका रिपोर्ट पर अप्रार्थीगण द्वारा आपत्ति दर्ज करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आपत्ति को स्वीकार किया जाकर प्रकरण में तहसीलदार को उभयपक्षों की उपस्थिति में पुनः मौका रिपोर्ट तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने हेतु निर्देशित किया गया।

तहसीलदार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण में पुनः मौका रिपोर्ट दिनांक 18.02.2025 प्रस्तुत की गई। उक्त मौका रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि *" खेत खसरा नम्बर 616/55 पर राजस्व रिकार्ड अनुसार कोई कटाणी रास्ता नहीं लगता है। अतः रास्ता दिया जाना उचित है। खेत खसरा नम्बर 616/55 की जोत में आने जाने के लिए निकटतम दूरी खसरा नम्बर 49 में से है जो 85 फीट है परंतु मौके पर मूर्ति व चार दीवारी बनी हुई है तथा खसरा नम्बर 49 में से रास्ता दिया जाता है तो खसरे का विभाजन भी होगा। अतः रास्ता दिया जाना उपयुक्त नहीं होगा। प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिए रास्ता खसरा नम्बर 48 किस्म गै0मु0 रास्ता से खसरा नम्बर 51 जो कि संलग्न नजरी नक्शे में लाल स्याही से दशाए बिंदु FGHI के मध्य खसरा नम्बर 51 की उत्तरी सींव होते हुए खसरा नम्बर 616/55 में पहुंचने हेतु सुगम व उपयुक्त है। प्रस्तावित रास्ते की लंबाई 99 फीट व चौडाई 20, 0.0184 है0 क्षेत्रफल बनता है। मौके पर कोई अवरोध नहीं है। अतः खसरा नम्बर 51 में से रास्ता दिया जाना उचित है।"*

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा संख्या 50 पर एक कच्ची झोपडी एवं नीव भरी हुई है एवं मौके पर अवरूद्ध है। इसके अतिरिक्त जमाबंदी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि खसरा संख्या 50 जिसका रकबा 0.2428 है0 है तथा उक्त खसरे में 20 सहखातेदार हैं, तथा तहसीलदार द्वारा सबसे निकटतम रास्ता खसरा संख्या 49 में से होना बताया है तथा जिसका रकबा भी 4.7348है0 है तथा उक्त खसरे में खातेदार भी मात्र एक ही है। अभिभाषक अपीलांट ने बताया कि खसरा संख्या 49 प्रार्थी के चचेरे भाई के बंट की भूमि है जो पहले संयुक्त खातेदारी की रही चुकी है। मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न नजरी नक्श में बिंदु संख्या सीडीई में मूर्ति एवं चारदीवारी होना बताया गया है। लेकिन नजरी

नक्शे में लाल स्याही से अंकित बिंदु सीडी के सहारे सहारे रास्ता दिया जा सकता था। इस प्रकार अप्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या 1 प्रथमतया मौका रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 49 से ही रास्ता दिया जाना न्यायोचित था। बावजूद इसके अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए निर्णय पारित किया है।

प्रकरण में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में खेत खसरा नम्बर 616/55 की जोत में आने जाने के लिए निकटतम दूरी खसरा नम्बर 49 में से है जो 85 फीट है का उल्लेख किया गया तथा उक्त खसरा नम्बर 49 पवन कुमारी के चचेरे भाई के बंट की भूमि है। जिसके नजदीक ही मुख्य सडक मिलती है। इसके अतिरिक्त अभिभाषक अपीलांट ने न्यायालय हाजा में खसरा संख्या 56 की जमाबंदी एवं नजरी नक्शा प्रस्तुत किया गया है। खसरा संख्या 56 जिसका रकबा 3.2860है0 है तथा उक्त खसरा भी सडक से लगता हुआ है। बावजूद इसके अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में खसरा नम्बर 51 जिसका रकबा बहुत ही कम होकर मात्र 0.0405है0 तथा चार सहखातेदार हैं। यदि खसरा संख्या 51 एवं 50 से रास्ता दिया जाता है तो खातेदार की जोत ही समाप्त होने की संभावना पूर्ण है। जबकि राजस्व रिकार्ड अनुसार खसरा संख्या 49 एवं 56 जो कि बडे रकबे हैं तथा सडक से लगते हुए भी हैं यदि इन खसरों से रास्ता दिया जाता है तो इनके पास कृषि योग्य भूमि भी पर्याप्त रहेगी तथा निकटतम मार्ग भी राजस्व रिकार्ड अनुसार इन्हीं खसरों में से उपलब्ध रहेगा।

मौका रिपोर्ट में खसरा नम्बर 616/55 में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 49 की लंबाई 85 फीट है जो कि लघुत्तम है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में रास्ता खसरा नम्बर 51 से दिया गया है जिसकी लंबाई 99 फीट है। प्रार्थीया द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने प्रार्थना पत्र में भी यह बताया गया था कि खसरा नम्बर 51 का रकबा मात्र 0.0405 है0 ही है अर्थात् खसरा नम्बर 51 का रकबा बहुत ही कम है। चूंकि खसरा नम्बर 51 का रकबा बहुत ही कम है जो कि नजरी नक्शे व पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी से स्पष्ट है, क्यों कि उक्त खसरे में से रास्ता दिए जाने से उसका रकबा और भी कम हो जाएगा जिससे खसरा नम्बर 51 के काश्तकारों के पास काश्त करने हेतु भूमि ही नहीं बचेगी।

तहसीलदार द्वारा मौका रिपोर्ट में खसरा संख्या 49 से नजदीकी रास्ता बताया गया है तथा राजस्व रिकार्ड अनुसार खसरा संख्या 56 भी सडक से लगता हुआ है। उक्त दोनों ही खसरे क्षेत्रफल की दृष्टि से खसरा संख्या 50 एवं 51 से पर्याप्त बडे हैं तथा तहसीलदार द्वारा भी खसरा संख्या 56 का उल्लेख अपनी मौका रिपोर्ट में नहीं किया गया है।

तहसीलदार द्वारा मौका रिपोर्ट बनाते समय पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों पर ही आश्रित नहीं रहना चाहिए बल्कि राजस्व रिकार्ड एवं मौके को देखकर न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना के साथ वैकल्पिक मार्ग की उपलब्धता बाबत भी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रहकर मौका रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौका रिपोर्ट में जब खसरा नम्बर 49 से लघुत्तम रास्ता उपलबध था, बावजूद इसके अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा नम्बर 51 में से जिसका रकबा मात्र 0.0405 है0 है में से दीर्घत्तम रास्ता किस आधार पर दिया जाकर प्रकरण में निर्णय पारित किया गया। जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष समस्त तथ्य पत्रावली पर उपलबध थे। इन समस्त तथ्यों से स्पष्ट प्रतीत होता है

कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का सरसरी तौर पर अवलोकन कर निर्णय पारित किया गया है, जो कि उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचनानुसार व अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय में त्रुटि कारित हुई है, अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय खारिज करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खींवसर जिला नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 85/2024 में पारित आदेश दिनांक 11.03.2025 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती हैं कि प्रकरण से संबंधित उभयपक्षकारान की उपस्थिति में खसरा संख्या 49 एवं इसके अतिरिक्त अन्य किसी खसरे में से वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हो तो उसको भी ध्यान में रखते हुए पुनः मौका रिपोर्ट तैयार की जाकर पक्षकारान से आपत्ति प्राप्त कर, आपत्ति का निस्तारण करते हुए व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तीनों बिंदुओं यथा रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता, वैकल्पिक मार्ग का अभाव व लघुत्तम मार्ग के बिंदुओं का अनुसरण करते हुए विधिवत परीक्षण कर पुनः विस्तृत रूप से गुणावगुण पर न्यायिक विवेक से निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 12.02.2026 को उपस्थित रहने के लिए पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 14.01.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर